विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 4(- 407

प्रश्न सं. [क्र. 407]

[9/2/2024]

पिछला	अगला

तत्काल

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल, 462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक:31 जुलाई, 2012

क्रमांक–एफ–19–71/2012/1/4 :: राज्य शासन द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की दृष्टि से, वन क्षेत्र से बाहर लेकिन वन सीमा से 250 मीटर के अंदर यदि खनिज के महत्व एवं उपलब्धता को देखते हुए खनि पट्टा स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया जाना है, तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अनुशंसा करने के लिए संभाग स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1.	संबंधित संभागायुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी)	सदस्य
3.	संबंधित कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी जो अपर कलेक्टर स्तर से कम का न हो	सदस्य
4.	संबंधित वन मण्डलाधिकारी (वन मंडल के भारसाधक अधिकारी)	सदस्य
5.	संबंधित जिले के खनिज अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा	सदस्य

उक्त समिति के सदस्य सचिव संभाग मुख्यालय के खनि अधिकारी होगें।

समिति निम्नानुसार कार्य संपादित करेगी:–

(i) संभागायुक्त अपने प्रभार के जिलो की प्रकरणों की समीक्षा माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेगें।

(ii) संभागान्तर्गत जिलों से संभाग मुख्यालय, खनि अधिकारी को वन सीमा से बाहर परन्तु वन सीमा से 250 मीटर के भीतर के खनि रियायत के प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

(iii) संभाग स्तरीय समिति को प्रस्तुत समस्त प्रस्तावों पर संबंधित वन मण्डलाधिकारी का स्पष्ट अभिमत सभी प्रकरणों में प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) संभाग मुख्यालय के खनि अधिकारी का दायित्व होगा कि वे जिलों से प्राप्त समस्त प्रस्तावों को समीक्षात्मक टीप सहित प्रतिमाह समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करेगें एवं समिति के निर्णय के उपरांत कार्यवाही विवरण तैयार कर समिति के निर्णय से सभी जिलों को अवगत करायेगें।

(v) समिति के समक्ष यदि वनभूमि, राजस्व वनभूमि एवं ऐसे क्षेत्र जो वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 के तहत अधिसूचित है, से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ भेजे जाते है तो उन पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होगें।

(प्रकाश मन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

निरन्तर.......2

/2. वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन की बेहतर रोकथाम के लिए वन सीमा से 250 मीटर पत्थर फड़ी लगाने की अनुमति लीज धारकों को नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम र
तथा आदेशानुसार

(केoसीo पंत)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 31 जुला

पृoक्रo एफ–19–71/2012/1/4
प्रतिलिपिः–

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
2. निज सचिव माo मंत्री जी, वन, मoप्रo भोपाल।
3. निज सचिव माo राज्यमंत्री जी, वन, मoप्रo भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मoप्रo शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मoप्रo शासन, वन विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
6. सचिव, मoप्रo शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

5524
09/08/12

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

भोपाल, दिनाँकः 01 अगस्त

पृoक्रo–एफ–5–16/1981/10–3
प्रतिलिपिः–

1. उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि में अंकित सर्व संबंधितों की ओर प्रेषित
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मoप्रo भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी/कार्य आयोजना/सूचना प्रोद्यौगिकी भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध/संरक्षण/वन भू–अभिलेख मoप्रo भो

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1224
09/8/12

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

अवर सचिव
म.प्र. शासन, वन वि